भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2952
सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए पर्यटन स्थलों का विकास

†2952. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पंजाब में, विशेषकर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में किन्हीं नए पर्यटन स्थलों को चिह्नित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त चिह्नित स्थलों को विकसित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान पंजाब सहित देश के ऐतिहासिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब राज्य के लिए इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु अलग से कोई बजटीय प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): यद्यपि पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों (एसजी)/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (यूटीए) की जिम्मेदारी है, तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत पंजाब सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता आदि के अध्याधीन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को उनके परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र सहित उपरोल्लिखित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को परिवर्तित किया है और पंजाब राज्य सरकार के परामर्श से एसडी 2.0 के तहत 'अमृतसर' और 'कपूरथला' को गंतव्यों के रूप में चिह्नित किया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) देश में केंद्र द्वारा संरक्षित 3696 स्मारकों/स्थलों के संरक्षण का काम करती है। संरक्षण और परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। एएसआई अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिए निर्धारित संरक्षण कार्यक्रम के आधार पर किए गए बजट आवंटन के अनुसार समुचित व्यय करता है। एएसआई राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के अनुसार संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण के लिए अपने ही दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। पंजाब राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र द्वारा संरक्षित 33 स्मारक हैं। तथापि एएसआई के क्षेत्राधिकार में आने वाले पंजाब के केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए अलग से कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

****

अनुबंध

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 07.08.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †2952 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के तहत पंजाब में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**परिपथ/स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**
स्वदेश दर्शन			
1	विरासत परिपथ / 2018-19	आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर साहिब - फ़िरोज़पुर - खटकरकलां - कलानौर - पटियाला का विकास	94.51
प्रशाद			
2	2015-16	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल का विकास	6.40
3	2021-22	रोपड़, पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	31.57
केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना			
4	2017-18	जेसीपी अट्टारी में अवसंरचनात्मक विकास हेतु परियोजना	13.12
5	2018-19	अमृतसर, पंजाब में 'जलियांवाला बाग स्मारक' की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए सीएफए और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पर अतिरिक्त कार्य का आरंभ।	23.02

****